राजू उर्फ देवेन्द्र चौबे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य;

आपराधिक अपील संख्या 822/2012

21 अगस्त 2014

[दीपक मिश्रा और एस.ए. बोबड़े जे.जे.]

दंड संहिता 1860 धारा 302 सपठित धारा 34 सुपारी हत्यारों की सहायता से हत्या आरोप है कि अभियुक्त संख्या-1 सुपारी हत्यारे आरोपी संख्या-2 से 4 को अपनी बहू (मृतक) को मारने के लिए नियोजित किया, क्योंकि वह घरेलू विवाद के कारण मृतका से नाराज थी पीडब्लू.21 व 13 साल का नौकर चश्मदीद गवाह था। अपील पर नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-आयोजित-पी.डब्लू 21 को आरोपी संख्या-1 द्वारा गांव से लाया गया था और वह उसकी देखभाल करती थी, स्कूल भेजती थी और भोजन और आवास देती थी उसके लिए आरोपी संख्या-1 को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। 1 पीडब्लू.21 का बयान यह था कि आरोपी संख्या-4 ने मृतका को पकड़ लिया और आरोपी संख्या- 2 ने उस पर 3-4 बार चाकू से हमला किया। घटना आंगन में घटी और आरोपी संख्या1 गलियारे में उपस्थित थी। अभियुक्त संख्या-3 गलियारे के बाहर खड़ा था। आरोपी संख्या-1 और 2 ने पीडब्लू-21 को घटना के बारे में किसी को भी न बताने

की धमकी दी। इस प्रकार आरोपी संख्या-2 और 4 का मृतका को मारने का ही एक मिशन था और डकैती करने के लिए घर में प्रवेश नहीं किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उनकी मृतक के साथ पहले से कोई दुश्मनी थी। पीडब्लू-21 का बयान कि आरोपी नंबर 2 ने मृतक पर हमला किया था। इसकी पुष्टि अभियुक्त संख्या-2 से चाकू की बरामदगी से हुई थी। 2. अभियुक्त संख्या-1, 2 व 3 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया जहां तक आरोपी संख्या-3 का संबंध है, अपराध में उसकी भूमिका होने का कोई सबूत नहीं था। उसके पास से कोई हथियार या अपराध से जुड़ी कोई संपत्ति जब्त नहीं की गई थी। वह निर्दोष होने के कारण बाल गवाह बरी कर दिया गया।

अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 25-11-2003 जब पीडब्लू.1 अभियुक्त संख्या-1 का पति क्लिनिक से घर लौटा तो उसने देखा कि 13 वर्षीय नौकर पीडब्लू.21 रो रहा था। जब वह अंदर गया तो उसने अपनी बहू को मृत और अपनी पत्नी आरोपी संख्या-1 को बेहोश पाया। अभियुक्त क्रमांक 1 मृतका की सौतेली सास थी तथा घरेलू विवाद के कारण मृतका से नाराज रहती थी। पीडब्लू.21 परिवार के साथ नौकर के रूप में काम करता था। उसे आरोपी संख्या-1 लेकर आयी। वह आरोपी नंबर 1 के घर में रहता था और वहीं खाना खाता था और स्कूल में पढ़ता था।

पीडब्लू.21 ने पहचान परेड में भाग लिया और अदालत में आरोपी व्यक्तियों को छूकर उनकी पहचान की। मृतक की हत्या के संबंध में

पीडब्लू.21 का बयान था कि आरोपी संख्या-4 ने मृतिका को पकड़ लिया और आरोपी नंबर 2 ने उस पर 3-4 बार चाकू से हमला किया घटना आंगन में घटी और आरोपी संख्या-1 में उपस्थित थी। आरोपी संख्या-3 घर के बाहर खड़ा था। मारपीट के बाद आरोपी संख्या-2 टीवी रूम में गए, जहां आरोपी संख्या-1 कुछ पैसे रखे थे। आरोपी संख्या-2 ने पीडब्लू.21 को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद आरोपी संख्या-1 उसे ऊपर छत पर ले गया और उससे कहा कि वह सच किसी को न बताए, बल्कि यह कहे कि चोर घर में आए और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी संख्या-1 इसके बाद चिल्लाने लगा और मृतक के पास लेट गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया। हाई कोर्ट ने सजा की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

न्यायालय द्वारा आरोपी नंबर-1, 2 व 4 की अपील खारिज करते हुए और अभियुक्त संख्या-3 की अपील की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. पीडब्लू.21 के बयान में स्पष्ट रूप से अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 शामिल थे। जो तस्वीर सामने आई वह यह थी कि अभियुक्त संख्या 1 ने मृतक की हत्या कारित की। इस उद्देश्य के लिए आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 4 को पैसे देकर काम पर लगाया। ऐसा प्रतीत होता है कि

उसने मृतक के साथ हाथापाई भी की थी। जो इस बात से स्पष्ट हो गया कि जांच के दौरान उसके बाल मृतक की पकड़ में पाए गए। यह स्पष्ट है कि आरोपी संख्या-2 और 4 डकैती करने के लिए घर में नहीं घुसे थे और उनका एक ही मिशन था। मृतक को मारना। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनकी मृतक के साथ कोई पूर्व दुश्मनी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुपारी हत्यारों के रूप में काम किया था। **[पैरा 15] [1094.सी.ई]**

2. अभियोजन पक्ष को उददेश्य बताना मुश्किल हो गया लेकिन आरोपी नंबर 1 के पति पीडब्लू.1 ने अदालत के सामने गवाही दी कि आरोपी नंबर 1 ने उसके बेटे की शादी में बाधा पैदा करने की कोशिश की क्योंकि वह अपनी बेटी से उसकी शादी कराना चाहती थी। हालाँकि, वह मृतका के साथ अपने बेटे की शादी के लिए आगे बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी नंबर 1 चुप रहा। **[पैरा 16] [1094.एफ]**

3. बाल गवाह पीडब्लू.21 के बयान के अवलोकन से दर्शित होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसने झूठ बोला होता। उसे आरोपी नंबर 1 द्वारा घर लाया गया था जिसने स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल की और स्कूल भेजा और उसे भोजन और आवास दिया। उसके मन में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और न ही उन आरोपियों की पहचान करने में, जो उससे परिचित नहीं थे,कोई परोक्ष अभिप्राय था। एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्लू.21) के पास किसी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था।

केवल इसलिए कि वह कुछ समय पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ था। उसकी गवाही को असत्य मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। घटना आरोपी नंबर 1 के घर की चारदीवारी के भीतर हुई और एकमात्र गवाह लड़का (पीडब्लू.21) था। उसका बयान कि आरोपी नंबर 2 ने मृतका पर हमला किया। उसकी पुष्टि आरोपी नंबर 2 से चाकू की बरामदगी से होती है। लड़का एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से था और घटना के समय उसकी उम्र 13 वर्ष थी। घर में उनकी मौजूदगी पूरी तरह से स्वाभाविक थी और उसकी गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं था। **[पैरा 18] [1095.बी.ई]**

4. आरोपी नंबर 2 और 3 को 29-11-2003 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहचान परेड 13-12-2003 को आयोजित की गई थी। (एक पखवाड़े के भीतर) आरोपी नंबर-4 को 22-12-2003 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी पहचान परेड 26-12-2003 को (चार दिनों के भीतर) आयोजित की गई थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि बाल गवाह को उनकी गिरफ्तारी और पहचान परेड के बीच आरोपियों की विशेषताओं को देखने और अध्ययन करने का अवसर मिला हो ताकि एक प्रशिक्षित पहचान संभव हो सके। किसी भी सूरत में गिरफ्तारी और पहचान परेड के बीच की अवधि इतनी अधिक नहीं थी कि अत्यधिक देरी हो सके। मौजूदा मामले में बाल गवाह विश्वसनीय पाया गया। उनकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह उस परिवार के साथ रहता था, जिसके लिए उसने काम किया था। उसका आरोपियों के

विरूद्ध कोई उददेश्य नहीं था। वह एक भीषण हत्या का दुर्भाग्यपूर्ण गवाह बन गया और उसने निडरता से अदालत में आरोपियों की पहचान की। अपने बयान में उसने उस भूमिका का विवरण विनिर्दिष्ट रूप से किया जो अभियुक्तगण ने उचित विशिष्टता के साथ निभाई थी। ऐसी स्थिति में आमतौर पर अभियुक्तों की पहचान के लिए अदालत में गवाह की शपथ ली गई गवाही की पुष्टि की तलाश करना विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता हैए जो पहले की पहचानए कार्यवाही के रूप में उनके लिए अजनबी हैं। **[पैरा-19] [1095 जी.एच; 1096-ए; 1098.बी.डी]**

सुभाष और शिव कुमार बनाम यूपी राज्य **(1987) 3 एससीसी 331: 1987(2)एससीआर 962;** मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **एआईआर 1983 एससी 367 प्रतिष्ठित।**

बुद्धसेन और अन्य बनाम यूपी राज्य **(1970) 2 एससीसी 128: 1971 (1) एससीआर 564;** सुरेश सखाराम नांगारे बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2012) 9 एससीसी 249; 2012 (7) एससीआर 1186;** जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य एआईआर **1999 एससी 1083;** रामाशीष यादव बनाम बिहार राज्य **(1999) 8 एससीसी 555; 1999 (2) पूरक। एससीआर 285 का उल्लेख किया गया।**

5. यह स्थापित कानून है कि सामान्य आशय और षड़यंत्र निष्कर्ष के विषय हैं और यदि कोई निष्कर्ष निकालते समय संदेह का कोई लाभ उत्पन्न होता है तो यह आरोपी को मिलना चाहिए। **[पैरा-21] [1099.बी.सी]**

बलिया बनाम एम.पी.राज्य (2012) 9 एससीसी 696; 2012 (8) एससीआर 1154- पर भरोसा किया।

6. तथ्यों और कानून की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद अभियोजन पक्ष आरोपी नंबर 3 के दोष को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अपराध में उसकी कोई भूमिका होने का कोई सबूत नहीं था। जब गवाह घर आया तो उसे केवल गवाह ने घर के बाहर खड़ा देखा था। आरोपी नंबर 3 ने गार्ड के रूप में भी काम नहीं किया। उसने पीडब्लू-21 को घर में प्रवेश करने से नहीं रोका। अन्य अभियुक्तों के साथ कोई सामान्य आशय बनाने या साझा करने का कोई सबूत नहीं था। एफआईआर में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई संदर्भ नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वह अन्य आरोपियों के साथ आया था या उनके साथ चला गया। उसके पास से कोई हथियार जब्त नहीं किया गया, न ही अपराध से जुड़ी कोई संपत्ति जब्त की गई। उसके द्वारा दी गई भूमिका और अभियोगात्मक कारकों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी संख्या-3 को हत्या के अपराध धारा 34 और 120बी के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। आरोपी संख्या-3 निर्दोष है और उसके खिलाफ दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। **[पैरा-22 और 23] [1099.सी.जी]**

केस कानून संदर्भ

1971 (1) एससीआर 564	विशिष्ट	[पैरा-19]
1987 (2) एससीआर 962	विशिष्ट	[पैरा-19]

1971 (1) एससीआर 564 संदर्भित [पैरा-20]

2012 (7) एससीआर 1186 संदर्भित [पैरा-20]

एआईआर 1999 एससी 1083 संदर्भित [पैरा-20]

1999 (2) एससीआर 285 संदर्भित [पैरा-20]

2012 (8) एससीआर 1154 भरोसा किया [पैरा-21]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार;आपराधिक अपील संख्या-822/2012,

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की आपराधिक अपील संख्या 244/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17-09-2010 से

साथ

सी.आर.एल.ए. की संख्या 867 / 2013

सी.आर.एल.ए. की संख्या 589 और 1781/2014

पी.सी. अग्रवाल, डॉ.राजेश पाण्डेय, मुकेश पाण्डेय, प्रियंका पाण्डेय, मृदुला रे भारद्वाज, रेवती राघवन, विद्या धर गौड़ अपीलकर्ताओ के लिए।

अतुल संदीप झां, धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश एस.ए.बोबड़े,जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. एसएलपी(सी.आर.एल) सीआरएल संख्या- 3737-2014 में अनुमति दी गयी।

2. ये अपीलें बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सामान्य फैसले के खिलाफ चार आरोपियों द्वारा दायर की गई हैं जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला दुर्ग के फैसले की पुष्टि की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 302 सपठित धारा 34 और 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है। [इसके बाद इसे आई.पी.सी. के रूप में संदर्भित किया गया है] और उनमें से प्रत्येक को एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तथा व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इन अपीलों को एक साथ निस्तारण के लिए लिया गया है क्योंकि ये अभियुक्तों की अपीलों पर निर्णय लेने वाले उच्च न्यायालय के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं।

3. अपीलकर्ता.राजू उर्फ देवेन्द्र चौबे (अभियुक्त क्रमांक-4) ने 2012 की आपराधिक अपील संख्या 822 दायर की है। अपीलकर्ता.महेश (अभियुक्त क्रमांक-3) ने 2013 की आपराधिक अपील संख्या 867 दायर की है। अपीलकर्ता बीनू उर्फ चंद्र प्रकाश (अभियुक्त क्रमांक-2) ने 2014 की आपराधिक अपील संख्या 589 दायर की है। अपीलकर्ता श्रीमती शशि त्रिपाठी (अभियुक्त क्रमांक-1) ने 2014 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3737 से उत्पन्न आपराधिक अपील दायर की है।

4. पीडब्लू-1 डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी अभियुक्त शशि त्रिपाठी के पति हैं। दिनांक 25-11-2003 को जब पीडब्लू-1 डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी अपने क्लीनिक से घर आये तो देखा कि उनकी बहू भावना त्रिपाठी की हत्या कर दी गयी है। उन्होंने 25-11-2003 को लगभग 20:45 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई। अपराध पंजीबद्ध किया गया। उन्होंने अदालत में गवाही दी कि 25-11-2003 को जब वह घर लौटे तो उन्होंने नौकर अनिल कुमार (पीडब्लू-21) को रोते हुए पाया। जब वह अंदर गया तो उसने अपनी बहू भावना और पत्नी शशि को आंगन में पड़ा हुआ पाया। भावना मर चुकी थी। शशि बेहोश थी। भावना के शरीर पर कटे हुए घाव सहित कई चोटें थी। शशि पर एक भी घाव नहीं था।

5. अपराध दर्ज होने के बाद दिनांक 26-11-2003 को भावना के शव का परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम डॉ. नरेश तिवारी और डॉ. एम. देवधर ने किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसे प्रदर्श पी-18 के रूप में चिह्नित किया गया है। घटनास्थल का नक्शा जांच अधिकारी (आई.ओ.) द्वारा तैयार किया गया था। आरोपी शशि त्रिपाठी का खून से सना कपड़ा और टूटी चूड़ियाँ कब्जे में ले ली गईं खून से सना सीमेंट मोर्टार और सादा सीमेंट मोर्टार भी कब्जे में ले लिया गया। शशि त्रिपाठी महेश और बीनू उर्फ चंद्र प्रकाश को 29-11-2003 को गिरफ्तार किया गया था। खून से सना चाकू कब्जे में लिया गया। आरोपी राजू उर्फ देवेन्द्र चौबे को 22-12-2003 को

हिरासत में लिया गया और एक सुजुकी मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई।

6. दिनांक 13-12-2003 को उप जेल बेमेतरा में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान परेड कराई गयी। एक समान पहचान परेड राजु उर्फ देवेन्द्र चौबे की उसकी गिफतारी के बाद दिनांक 26-12-2003 को कराई गई।

7. मृतका की पकड़ में पाए गए बाल का सीलबन्द पैकेट तथा मृतका के खून से सने कपड़े का दूसरा सीलबन्द पैकेट जो प्रदर्श पी-5 द्रा कब्जे में लिए गए।

8. कमिटल के पश्चात ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 और 120बी के तहत आरोप विरचित किए। अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों को परीक्षित कराया। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाने के बाद किसी भी बचाव गवाह को परीक्षित नहीं कराया।

9. अभियोजन के अनुसार अभियुक्ता शशि त्रिपाठी मृतका भावना त्रिपाठी की सौतेली सास है। भावना की शादी जुलाई 2003 में उनके सौतेले बेटे जीतेन्द्र कुमार से हुई थी। शशि त्रिपाठी कुछ घरेलू विवाद के कारण भावना त्रिपाठी से नाराज रहती थी। उसने अन्य आरोपियों को भावना की हत्या के लिए लगाया। भावना की हत्या 25-11-2003 को लगभग 18:30 बजे उस घर में कर दी गई जहां वह शशि त्रिपाठी के साथ रहती थी।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि भावना की मौत मानव वध है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉ- एम- देवधर ने राय दी कि उसकी मौत का कारण न्यूरोजेनिक और हेमोरेजिक शॉक था। मृतका के शरीर पर पाई गई चोटें इस प्रकार हैं;

<u>"बाहरी चोटें;</u>

1- 3 सेमीx 1 सेमी आकार का बाएं स्कैपुलर रीजन पर कटा हुआ घाव।

2- 4 सेमीx $1^{1}/_{2}$ सेमी आकार का बाएं स्कैपुलर रीजन पर कटा हुआ घाव।

3- बाएं ऑक्सीलरी रीजन के पोस्टेरीयर ऑक्सीलरी रीजन पर 3 सेमीx2 सेमीx3 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव।

4- नीचे के कोस्टल रीजन पर $3^{1}/_{2}$ सेमीx 2 सेमीx1 सेमी आकार का बायीं ओर कटा हुआ घाव।

5- नीचे के कोस्टल रीजन पर $3^{1}/_{2}$ सेमीx 3 सेमी आकार का दायी एपीगेस्टिक रीजन पर छिद्रीत घाव।

6- दाई कोस्टल रीजन पर कटा 3 सेमीx 2 सेमीx1 सेमी का कटा हुआ घाव।

7- दाएं सुप्रा मैमरी रीजन पर लगभग मध्यम आकार का 4 सेमीx 1 सेमीx$1^{1}/_{2}$ सेमी का कटा हुआ घाव।

8- दाएं सुप्रा मैमरी रीजन पर 4 सेमीx 1 सेमीx1 $^{1}/_{2}$ सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

9- बाएं हाथ की बांह की कलाई के जोड़ के पास रेडियल एस्पेक्ट 2 $^{1}/_{2}$ सेमीx $^{1}/_{2}$ सेमीx $^{1}/_{2}$ सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

10- बाएं हाथ के बाहं की कलाई पर रेडियल साईड डोरसल एस्पेक्ट के नीचे दो तिहाई आकार का कटा हुआ घाव।

11- बाएं हाथ के बांह की कलाई के मध्य एक तिहाई रीजन, रेडियल साईड और पोस्टेरियर एस्पेक्ट 2 $^{1}/_{2}$ सेमीx 1 $^{1}/_{2}$ सेमीx1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

12- बाएं हाथ के दूसरे और तीसरे मेटाकार्पल डोरसल एस्पेक्ट रीजन पर 2 $^{1}/_{2}$ सेमीx $^{1}/_{2}$ सेमीx1 $^{1}/_{2}$ सेमी बाएं हाथ पर कटा हुआ घाव।

13- बाएं हाथ के निचले एक तिहाई हिस्से के उल्ना रीजन पर 1 सेमीx $^{1}/_{2}$ सेमीx1 सेमी का कटा हुआ घाव और

14- गर्दन के बायीं ओर एन्टेरिअर ट्राएंगल पर 2 सेमीx $^{1}/_{2}$ सेमीx1 $^{1}/_{2}$ सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

<u>आंतरिक चोटें</u>

मस्तिष्क की झिल्ली कमजोर, फेफड़े, श्वास नली कमजोर, दाएं और बाएं फेफड़े पर क्रमशः 2 सेमीx1 सेमीx$2^{1}/_{2}$ सेमी के छिद्रीत घाव, लोब काटा गया और वहां 3 सेमी के आकार का छिद्रित घाव था। दाहिने लोब पर भी 3 सेमीx$^{1}/_{3}$ सेमीx$3^{1}/_{2}$ सेमी का कटा हुआ घाव मौजूद था। लीवर, किडनी और तिल्ली कमजोर पड़ गये थे। मृतक के पेट में दो महिने का भ्रूण था।"

11. एकमात्र चश्मदीद गवाह 13 साल का लड़का अनिल कुमार (पीडब्लू.21) था, जो परिवार में नौकर के रूप में काम करता था। शशि त्रिपाठी उसे बिलासपुर से घर लायी थी उसने उप जेल बेमेतरा में आयोजित पहचान परेड में भाग लिया और न्यायालय में आरोपियों को छूकर उनकी पहचान की।

12. जिस तरीके से पहचान परेड आयोजित की गई और जिस तरह से लड़के अनिल कुमार (पीडब्लू.21) ने अदालत में आरोपी की पहचान की, हमने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारे पास आरोपी की पहचान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जो इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना से पहले लड़का आरोपी को नहीं जानता था।

13. यह अनिल कुमार (पीडब्लू-21) ने दी सबसे पहले शिकायतकर्ता परिवार के मुखिया डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी (पीडब्लू-1) को घटना के बारे में सूचित किया, जब वह अपना क्लिनिक बंद करके घर आया था। उसने

न्यायालय के समक्ष गवाही दी कि शशि दीदी (अभियुक्त) उसे बिलासपुर से ग्राम-जेवरा लायी थी। वह शशि दीदी के घर में रहता था। उसने वहीं खाना खाया और एक स्कूल में पढ़ाई की। उसने बताया कि डॉक्टर साहब उसके पति हैं और शिवेंद्र और जितेंद्र उनके बेटे हैं। जितेंद्र उसका सौतेला बेटा है और मृतक भावना जितेंद्र की पत्नी है। वह शशि दीदी के साथ रहती थी। जितेंद्र डॉक्टर है जो खमरिया में रहते थे और प्रैक्टिस करते थे, जबकि उनकी पत्नी जेवरा में रहती थीं। उनके भाई-शिवेंद्र कलकत्ता में पढ़ते हैं। वह भावना को भाभी कहकर बुलाता था। उसने कहा कि शशि दीदी और भावना में कभी-कभी झगड़ा होता था।

14. हमले के बारे में उसने बताया कि देवेन्द्र ने भावना को पकड़ लिया और चन्द्रप्रकाश ने उस पर चाकू से 3 से 4 बार हमला किया और वह गिर गयी। घटना आँगन में घटी और शशि दीदी गलियारे में मौजूद थीं। चौथ आरोपी महेश घर के बाहर खड़ा था। मारपीट के बाद चंद्र प्रकाश टीवी रूम में गया, जहां शशि दीदी ने टेबल पर रबर बैंड में कुछ पैसे रखे थे। आरोपी चंद्र प्रकाश ने उसे घटना के बारे में किसी को कुछ भी न बताने की धमकी दी थी। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग गए। उसने आगे बताया कि शशि दीदी उसे ऊपर छत पर ले गई और उससे कहा कि वह किसी को सच्चाई न बताए, बल्कि यह कहे कि चोर घर में आए और अपराध किया। इसके बाद शशि दीदी चिल्लाने लगी। फिर वह आँगन में भावना भाभी के पास लेट गयी।

15. यह बयान स्पष्ट रूप से अभियुक्त संख्या 1, 2 और 4 को दर्शाता है। जो तस्वीर उभरती है वह यह है कि शशि त्रिपाठी ने भावना की हत्या करवाई और इस उद्देश्य के लिए चंद्र प्रकाश (अभियुक्त संख्या-2) और राजू उर्फ देवेंद्र चौबे (अभियुक्त संख्या-4) को उन्हें पैसे देकर शामिल किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भावना के साथ उसकी हाथापाई भी हुई है, जो इस बात से स्पष्ट है कि जांच के दौरान उसके बाल मृतक की पकड़ में पाए गए। यह स्पष्ट है कि आरोपी संख्या-2 और 4 डकैती करने के लिए घर में नहीं घुसे थे और उनका एक ही मिशन था, भावना को मारना। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनकी मृतक के साथ कोई पूर्व दुश्मनी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुपारी हत्यारों के रूप में काम किया था।

16. अभियोजन पक्ष के लिए उददेश्य का पता लगाना मुश्किल हो गया, लेकिन शशि त्रिपाठी के पति डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी (पीडब्लू-1) ने अदालत के सामने गवाही दी कि उसने उनके बेटे जितेंद्र की शादी में बाधा पैदा करने की कोशिश की क्योंकि वह अपनी बेटी अभिलाषा से उसकी शादी करना चाहती थी। हालाँकि, उन्होंने जीतेन्द्र की शादी भावना से कर दी, जिस पर शशि त्रिपाठी चुप रही।

17. अनिल कुमार (पीडब्लू-21)के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आक्षेप किया गया, जिन्होंने तर्क किया कि लड़का एक प्रशिक्षित गवाह है, जो पुलिस से प्रभावित है जिसके साथ उसने बहुत समय बिताया है. वास्तव में, वह इलाहाबाद में समन मिलने के

बाद एक पुलिस कांस्टेबल के साथ अदालत में आया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बच्चे के गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए क्योंकि एक बच्चा ट्यूशन के लिए आसान शिकार हो सकता है और अदालत को अन्य सबूतों से पुष्टि पर जोर देना चाहिए।

18. इस बाल गवाह के बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर हमें कोई कारण नहीं मिला कि उसने झूठ क्यों बोला होगा। उसे शशि त्रिपाठी (अभियुक्त) द्वारा घर लाया गया था जिसने स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल की और स्कूल भेजा और उसे भोजन और आवास दिया। उसके मन में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और न ही आरोपी की पहचान करने में उसका कोई गलत मकसद थाय जो उससे परिचित नहीं थे एकमात्र चश्मदीद गवाह अनिल (पीडब्लू.21) के पास किसी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। केवल इसलिए कि वह कुछ समय पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ रहा है। उसकी गवाही को असत्य मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। घटना आरोपी शशि त्रिपाठी के घर की चारदीवारी के भीतर घटी और एकमात्र गवाह लड़का अनिल (पीडब्लू.21) था। उसका यह कथन कि अभियुक्त चन्द्र प्रकाश ने मृतक पर हमला किया था। चन्द्र प्रकाश के पास से चाकू की बरामदगी से पुष्ट होता है। यह याद रखना चाहिए कि लड़का ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और घटना के समय उसकी

उम्र 13 वर्ष थी। सदन में उनकी उपस्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक है और हमारे पास उनकी गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं है।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अन्य अभियुक्तों की सजा पर जोरदार हमला किया। महेश चंद्र प्रकाश और देवेन्द्र कुमार ने स्वीकार किया कि वे बाल गवाह अनिल कुमार को नहीं जानते थे। यह प्रस्तुत किया गया कि परीक्षण पहचान परेड में देरी हुई और अदालत में गवाह द्वारा इन आरोपियों की पहचान विश्वसनीय नहीं थी। हमारे लिए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। महेश और चंद्र प्रकाश को 29-11-2003 को गिरफ्तार किया गया था उनकी पहचान परेड 13-12-2003 को आयोजित की गई थी। (लगभग एक पखवाड़े के भीतर) आरोपी देवेन्द्र कुमार को दिनांक 22-12-2003 को गिरफ्तार किया गया और उसकी पहचान परेड दिनांक 26-12-2003 को (चार दिनों के भीतर) कराई गई। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि बाल गवाह को आरोपियों की गिरफ्तारी और परीक्षण के बीच उनकी विशेषताओं को देखने और अध्ययन करने का अवसर मिला था। प्रशिक्षित पहचान को सक्षम करने के लिए एक पहचान परेड, किसी भी मामले में गिरफ्तारी और पहचान परेड के बीच की अवधि इतनी बड़ी नहीं थी कि अधिक देरी हो सके। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बुद्धसेन और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। **सरकार बनाम यू.पी. (1970) 2 एससीसी 128** जहां इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की:-

"7- अब, जो तथ्य किसी आरोपी व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में एक गवाह का वास्तविक साक्ष्य अदालत में दिया गया बयान है। केवल पहचान का साक्ष्य पहली बार मुकदमे में आरोपी व्यक्ति अपने स्वभाव से ही कमजोर चरित्र का है। दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य में आमतौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह कैसे और किन परिस्थितियों में विशेष आरोपी व्यक्ति को चुनने आया था और उसका विवरण वह भूमिका, जो अभियुक्त ने उचित विशिष्टता के साथ अपराध में निभाई थी। इसलिए पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना प्रतीत होता है। तदनुसार इसे आम तौर पर देखने के लिए विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है पूर्व पहचान कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के बारे में अदालत में गवाहों की शपथ ली गई गवाही की पुष्टि के लिए जो उनके लिए अजनबी हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं उदाहरण के लिए अदालत है किसी विशेष गवाह से प्रभावित होकर जिसकी गवाही पर वह ऐसी या अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान परेड जांच चरण की है। इन्हें आम तौर पर जांच

के दौरान प्राथमिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है ताकि गवाहों को अपराध से संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके, जो पहले से उन्हें ज्ञात नहीं थे। यह अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रामाणिकता के बारे में जांच अधिकारियों को संतुष्ट करने और अदालत में उनकी गवाही की पुष्टि करने के लिए सबूत प्रस्तुत करने का भी काम करता है। पहचान की कार्यवाही का कानूनी प्रभाव बस इतना ही है कि कुछ व्यक्तियों को जेल में लाया जाता है। किसी अन्य स्थान पर व्यक्त या निहित रूप से बयान देते हैं कि वे जिन कुछ व्यक्तियों की ओर इशारा करते हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें वे अपराध में शामिल होने के रूप में पहचानते हैं। वे कोई ठोस साक्ष्य नहीं बनाते। ये परेड अनिवार्य रूप से धारा 162, आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित होती है। यही कारण है कि यह प्रतीत होता है कि इस मामले में पहचान परेड मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई है। पहचान परेड के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें आयोजित करने वाले मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुचितता के किसी भी संदेह को खत्म करने और प्रशंसापत्र त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए सभी संभव सावधानी बरतें। इसलिए उन्हें दो बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही में समझदारी से दिलचस्पी लेनीचाहिए।(1) कि किसी आरोपी का जीवन

और स्वतंत्रता उनकी सतर्कता और सावधानी पर निर्भर हो सकती है। (2)पहचान में न्याय किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने वालों को उन पहचानकर्ताओं के लिए इसे असंभव नहीं बनाना चाहिए जिनके पास एक नियम के रूप में केवल उस व्यक्ति की क्षणभंगुर झलक होती है जिसे वे पहचानना चाहते हैं। आम तौर पर मजिस्ट्रेट को पहचान के समय किसी आरोपी द्वारा उठाई गई हर आपत्ति और आरोपी के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को नोट करना चाहिए, ताकि पहचान के साक्ष्य के मूल्य का निर्धारण करने वाली अदालत निर्णय ले सके। उस साक्ष्य की सराहना में उन पर विचार करें। यह ध्यान में रखा जा सकता है कि पहचानने की शक्ति पहचानने वाले व्यक्ति की अवलोकन और स्मृति की शक्ति के अनुसार भिन्न होती है और प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है, लेकिन दो कारक हैं जो मूल्यांकन में बुनियादी महत्व के प्रतीत होते हैं पहचान, जिन व्यक्तियों को किसी आरोपी की पहचान करनी होती है,उन्हें अपराध करने के बाद और पहचान करने से पहले उसे देखने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए और दूसरी बात यह कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है या की गई गलतियाँ नगण्य है। मूल्यवान होने की पहचान भी बिना किसी देरी के की जानी चाहिए।

अभियुक्तों के साथ मिश्रित व्यक्तियों की संख्या यथोचित रूप से बड़ी होनी चाहिए और उनका प्रभाव तथा सामान्य रूप स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं है, इसलिए पहचान से संबंधित साक्ष्यों की न्यायालय द्वारा बारीकी व सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए.....।"

इस न्यायालय की टिप्पणियाँ निस्संदेह सही कानून प्रस्तुत करती हैं और हमारे पास उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, हम यह नहीं देखते कि टिप्पणियाँ, अपीलकर्ताओं को कैसे मदद करती हैं। वर्तमान मामले में बच्चे की गवाही विश्वसनीय पायी गयी है। चूंकि वह परिवार के साथ रहते था, इसलिए उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया गया जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनके पास किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। वह एक भयानक हत्या का दुर्भाग्यपूर्ण गवाह बन गया और उसने निडरता से अदालत में आरोपियों की पहचान की। अपने बयान में उन्होंने उस भूमिका का विवरण निर्दिष्ट किया जो अभियुक्त ने उचित विशिष्टता के साथ निभाई थी। ऐसी स्थिति में यह आम तौर पर विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि अदालत में गवाहों की शपथ ली गई गवाही की पुष्टि के लिए अभियुक्तों की पहचान की तलाश की जाए जो उनके लिए अजनबी हैं जैसा कि पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में देखा गया है। बुद्धसेन के मामले में यह न्यायालय(सुप्रा) । इस न्यायालय ने सामान्य तौर पर यह आवश्यकता

निर्धारित नहीं की है कि सभी पहचान परेड एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होनी चाहिए जैसा कि बुद्धसेन के मामले(सुप्रा) में हुआ था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने सुभाष और शिव कुमार बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। यूपी राज्य(1987)3 एस.एस.सी. 331 और मो. अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1983 एससी 367, मामलों के तथ्य और परिस्थितियां हालांकि, अलग हैं और वर्तमान मामले से निपटने के दौरान उन मामलों पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि वे मामले इस मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कोई संदेह पैदा नहीं करते हैं।

21. अपीलकर्ता महेश (आरोपी नंबर-3) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.सी. अग्रवाल ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस आरोपी को आईपीसी की धारा 34 और 120 बी की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। विशेष रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी की भूमिका यह थी कि वह केवल घर के बाहर खड़ा था। उन्होंने गार्ड की भूमिका भी नहीं निभाई, क्योंकि जब गवाह अनिल कुमार (पीडब्लू.21) आए थे। उसे आरोपियों ने घर में घुसने से भी नहीं रोका। महेश (अभियुक्त संख्या-3) के विद्वान वकील ने सुरेश सखाराम नांगारे बनाम में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया। महाराष्ट्र बनाम राज्य(2012) 9 एस.सी.सी 249, जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 1999

एस.सी 1083 और रामाशीष यादव बनाम बिहार राज्य (1999) 8 एस.सी.सी. 555.

22. यह स्थापित कानून है कि सामान्य इरादा और साजिश अनुमान के मामले हैं और यदि अनुमान लगाते समय संदेह का कोई लाभ मिलता है तो इसे बलिया बनाम के आरोपी के पास जाना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 696.

23. तथ्यों और कानून की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने पर हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे महेश के अपराध को साबित करने में विफल रहा है। अपराध में उसकी कोई भूमिका होने का कोई सबूत नहीं है। जब गवाह घर आया तो उसे केवल गवाह ने घर के बाहर खड़ा देखा था। महेश ने गार्ड की भूमिका भी नहीं निभाई, उन्होंने अनिल कुमार (पीडब्लू-21) को घर में प्रवेश करने से नहीं रोका। अन्य अभियुक्तों के साथ कोई साझा इरादा बनाने या साझा करने का कोई सबूत नहीं है। एफआईआर में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई संदर्भ नहीं है इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह अन्य आरोपियों के साथ आया था या उनके साथ चला गया। उसके पास से कोई हथियार जब्त नहीं किया गया, न ही अपराध से जुड़ी कोई संपत्ति जब्त की गई। उसके द्वारा दी गई भूमिका और अभियोगात्मक कारकों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि धारा 34 और 120बी की सहायता से महेश को हत्या के अपराध में दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

23. इसलिए हम मानते हैं कि 2013 की आपराधिक अपील संख्या 867 में आरोपी महेश (अभियुक्त संख्या-3) निर्दोष है और उसके खिलाफ दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया है। उनके जमानत बॉण्ड रद्द कर दिए गए हैं और जमानतदारों को मुक्त कर दिया गया है।

24. उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए 2013 की आपराधिक अपील संख्या 867 की अनुमति दी जाती है और 2012 की आपराधिक अपील संख्या 822, 2014 की 589 और 2014 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3737 से उत्पन्न आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल अपीलें निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी शिखा चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।